न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : हरि मोहन मीना, आई0ए0एस0

(Bank Case)

GCMS No. 2022 /
Manual no- 54/2022

बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा कार्यालय– स्टेशन रोड, कोटा (राज.) – प्रार्थी

बनाम

1. श्री राजकुमार जडिया पुत्र श्री स्व. नन्दलाल जडिया (ऋणी / बंधककर्ता)
   पताः– 151, सरकारी नल के पास, गुमानपुरा, कोटा (राज.)
2. श्रीमती गीता देवी जडिया पत्नी श्री राजकुमार जड़िया (सहऋणी)
   पताः– 151, सरकारी नल के पास, गुमानपुरा, कोटा (राज.)
3. श्री हरीश कुमार जड़िया पुत्र श्री राजकुमार जडिया (सहऋणी)
   पताः– 151, सरकारी नल के पास, गुमानपुरा, कोटा (राज.)
4. श्री सुरेश कुमार गोस्वामी पुत्र श्री प्रेम नारायण गोस्वामी (जमानतदार)
   पताः– 151, सरकारी नल के पास, गुमानपुरा, कोटा (राज.)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–
श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः– 25.04.2022

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा कार्यालय– स्टेषन रोड, कोटा (राज.) से अप्रार्थीगण ने दिनांक 27.04.2015 को 22,80,000 / – (अक्षरेः रूपये बाईस लाख अस्सी हजार मात्र) एवं दिनांक 25.05.2015 को 35,00,000 / – (अक्षरेः रूपये पेतीस लाख मात्र) इस प्रकार कुल ऋण 57,80,000 / – (अक्षरेः रूपये सत्तावन लाख अस्सी हजार मात्र) लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **श्री राजकुमार जड़िया पुत्र स्व0 श्री नन्दलाल जडिया के नाम साम्यिक बंधक सम्पत्ति जो यादव मोहल्ला, वार्ड नं. 50, गुरूद्वारा के पास, गुमानपुरा, कोटा (राज.) में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 284.08 वर्ग मीटर है। जिसका पट्टा नगर निगम, कोटा द्वारा क्रमांक – न.नि.को. / 03, दिनांक 18.12.13 से श्री राजकुमार जडिया पुत्र श्री नन्द लाल जडिया के नाम है, जिसकी चर्तु सीमाए– पूर्व में– पुरूषोत्तम का मकान , पश्चिम में– परसराम का मकान, उत्तर में– आम रास्ता , दक्षिण में– श्री परसराम, श्री हैदर अली एवं श्री पुरूषोत्तम का मकान है,** को प्रार्थी ने बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तिय सस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 23.11.2021 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खाते में 51,99,795.20 / – रूपये (अक्षरेः रूपयेः इक्यावन लाख, निन्यानवें हजार, सात सौ पिचानवें व बीस पैसे मात्र) दिनांक 25.11.2021 तक व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 25.11.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये। इसके बावजूद ऋण राषि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । अतः प्रार्थी वित्तिय सस्था द्वारा The Securitisation and

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज0)

Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को ज़रिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों को उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने दिनांक 25.11.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये। इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तिय सस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 25.11.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये। इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी की **श्री राजकुमार जड़िया पुत्र स्व0 श्री नन्दलाल जडिया के नाम साम्यिक बंधक सम्पत्ति जो यादव मोहल्ला, वार्ड नं. 50, गुरूद्वारा के पास, गुमानपुरा, कोटा (राज.) में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 284.08 वर्ग मीटर है। जिसका पट्टा नगर निगम, कोटा द्वारा कमांक – न.नि.को./03, दिनांक 18.12.13 से श्री राजकुमार जडिया पुत्र श्री नन्द लाल जडिया के नाम है, जिसकी चर्तु सीमाए– पूर्व में– पुरूषोत्तम का मकान , पश्चिम में– परसराम का मकान, उत्तर में– आम रास्ता , दक्षिण में– श्री परसराम, श्री हैदर अली एवं श्री पुरूषोत्तम का मकान है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तिय सस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 25-04-.2022 को सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)
जिला मजिस्ट्रेट, कोटा
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)